राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

"वित भवन" जनपथ, जयपुर–302015

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– एफ.3 (ख) (आर–188/94)/अलेसे–II/175-178 दिनांक :– 17/5/22

श्री राजेन्द्र कुमार स्वर्णकार,
सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II,
कार्यालय सहायक निदेशक,
उद्यान विभाग, भरतपुर।

विषयः– नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं करने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बाबत्।

प्रसंगः– निदेशालय के आदेश क्रमांक 677 (आदेश संख्या 27/21–22) दिनांक 30.09.2021 एवं परिपत्र क्रमांक 1280 दिनांक 04.02.2022

विभागीय आदेश क्रमांक 677 (आदेश संख्या 27/21–22) दिनांक 30.09.2021 के द्वारा आपका स्थानान्तरण कार्यालय सहायक निदेशक, उद्यान विभाग, भरतपुर से जिला परिषद् (पंचायत प्रकोष्ठ) भरतपुर में किया गया था परंतु उक्त आदेश की पालना आपके द्वारा आदिनांक तक भी नहीं की गई है, जो कि राजकीय आदेशों की घोर अवहेलना है। निदेशालय के पृष्ठाकंन पत्र क्रमांक 1025 दिनांक 06.01.2022 द्वारा भी आपको निर्देशित किया गया था। निदेशालय के परिपत्र क्रमांक 1280 दिनांक 04.02.2022 द्वारा भी निर्देशित किया गया था कि दिनांक 0702.2022 तक अपने नव पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें। यह भी निर्देशित किया गया था कि किसी भी प्रकार के विलम्ब अथवा लापरवाही को अत्यन्त गंभीरता से लेते हुए आदेशों की अवेहलना किया जाना मानते हुए समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।

अतः आदेश दिनांक 30.09.2021 एवं परिपत्र दिनांक 04.02.2022 की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अपना स्पष्टीकरण 7 दिवस में प्रस्तुत करे अन्यथा आप द्वारा राजकीय आदेशो की स्पष्ट अवहेलना करने के कारण सीसीए नियमों के तहत कार्यवाही आरंभ कर दी जायेगी।

(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)

क्रमांकः– एफ.3 (ख) (आर–188/94)/अलेसे–II/175-178 दिनांक :– 17/5/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सहायक निदेशक, उद्यान विभाग, भरतपुर।
2. जिला परिषद् (पंचायत प्रकोष्ठ) भरतपुर।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)